न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
87/2021 प्रा.पत्र/2021	24.09.2021	25.01.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री सतीश मित्तल पुत्र श्री मुरलीधर मित्तल निवासी खारी कुई के पास वार्ड नं. 18 उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स दिनेश एजेन्सीज कटला गेट उनियारा जिला टोंक राज. पिनकोड–304024

2–मैसर्स दिनेश एजेन्सीज कटला गेट उनियारा जिला टोंक राज. पिनकोड–304024

3–श्री पंकज अग्रवाल पार्टनर मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स दुकान नं. 346, जौहरी बाजार जयपुर

4–श्री सुनिल अग्रवाल पार्टनर मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स दुकान नं. 346, जौहरी बाजार जयपुर

5–मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स दुकान नं. 346, जौहरी बाजार जयपुर राज.। पिनकोड–302003

6–श्री अनिल द्वारकादास अग्रवाल पार्टनर मैसर्स एस.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज सी–7–5, ऑटो मोबाईल नगर, दिल्ली रोड, जयपुर। पिनकोड–302003 निवासी–प्लॉट नं. 2706/2–बी, शिवाजी नगर, जलगांव, महाराष्ट्र।

7–श्रीमति फूलीबाई द्वारकादास अग्रवाल पार्टनर मैसर्स एस.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज सी–7–5, ऑटो मोबाईल नगर, दिल्ली रोड, जयपुर। पिनकोड–302003 निवासी–प्लॉट नं. 2706/2–बी, शिवाजी नगर, जलगांव, महाराष्ट्र।

8–श्री सरोजबाई विनोद कुमार अग्रवाल पार्टनर मैसर्स एस.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज सी–7–5, ऑटो मोबाईल नगर, दिल्ली रोड, जयपुर। पिनकोड–302003 निवासी–प्लॉट नं. 2706/2–बी, शिवाजी नगर, जलगांव, महाराष्ट्र।

9–श्री धीरज विनोद कुमार अग्रवाल पार्टनर मैसर्स एस.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज सी–7–5, ऑटो मोबाईल नगर, दिल्ली रोड, जयपुर। पिनकोड–302003 निवासी–प्लॉट नं. 2706/2–बी, शिवाजी नगर, जलगांव, महाराष्ट्र।

10–श्री निकुंज अनिल अग्रवाल पार्टनर मैसर्स एस.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज सी–7–5, ऑटो मोबाईल नगर, दिल्ली रोड, जयपुर। पिनकोड–302003 निवासी–प्लॉट नं. 2706/2–बी, शिवाजी नगर, जलगांव, महाराष्ट्र।

11–श्री शान्तिलाल बछावत अधिकृत प्रतिनिधि पार्टनर मैसर्स एस.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज सी–7–5, ऑटो मोबाईल नगर, दिल्ली रोड, जयपुर। पिनकोड–302003 निवासी–15–सी, पावटा सी रोड, जोधपुर। पिनकोड–342001

12–मैसर्स एस.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज सी–7–5, ऑटो मोबाईल नगर, दिल्ली रोड, जयपुर। पिनकोड–302003

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण की ओर से श्री सतीश मित्तल उप.।

:–**निर्णय**–: दिनांक 25.01.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.12.2020 को समय 01:45 पीएम पर मैसर्स दिनेश एजेन्सीज कटला गेट उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री सतीश मित्तल पुत्र श्री मुरलीधर मित्तल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सतीश मित्तल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कागज के 3 कार्टून में लगभग 36 मूल पैक बोतल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 लीटर पैक **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (पोस्टलाईन ब्राण्ड)** रखा हआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सतीश मित्तल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सतीश मित्तल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (पोस्टलाईन ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर पीएफ जे84ए एवं पैकिंग की दिनांक अक्टूबर 2020 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1–1 लीटर के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (पोस्टलाईन ब्राण्ड)** 1–1 लीटर के 4 मूल पैक में से एक–एक नग वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2752 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2752 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सतीश मित्तल पुत्र श्री मुरलीधर मित्तल ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स दुकान नं. 346, जौहरी बाजार जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स से पत्र व्यवहार करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स एस.के. ऑयल इण्डस्ट्रीज सी–7–5, ऑटो मोबाईल नगर, दिल्ली रोड, जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2021 / 45 दिनांक 06.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस. / 2431 / एक्ट / 2020 / 2317 दिनांक 28.12.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (पोस्टलाईन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके श्री सतीश मित्तल उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। मात्र इसके लेबल पर सभी आवश्यक जानकारियां अंकित है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (पोस्टलाईन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (पोस्टलाईन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000 / – (अक्षर पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.01.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0